**नगर निगम शिमला**

**सार्वजनिक सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा कार पार्किंगों/,कैन्टीन इत्यादि के लिए मोहरबन्द मोहरबन्द निविदायें दिनांक 20.06.2018 को सायं 2.00 बजे तक आमंन्त्रित की जाती है। निविदायें उसी दिन सायं 3.00 बजे रोटरी टॉउन हाल दी मॉल शिमला में निविदायें खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाएंगी।

**निगम की कार पार्किंग, दुकान, कन्टीन व प्लास्टिक की करेटों की सूची जिनके आबंटन हेतु निविदायें सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से आंमन्त्रित की जानी हैः-**

| क्रम संख्या | आवृत पार्किंग का ब्यौरा | वाहन क्षमता | अवधि | धरोहर राशि रू0 | आरक्षित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निगम कार पार्किंग टेरिस फ्लोर, चौथी मंजिल व पांचवी मंजिल मैट्रो पोल कार्ट रोड शिमला। | 190 छोटे वाहन | 2 वर्ष | 12,00,000/- | 40,00,000/- वार्षिक |
| 2. | 1.एलईडी स्क्रीन रिज,<br>2.रोटरी टैरिस<br>3. संजौली शिमला। | 1. 277 वर्गफुट<br>2. 136 वर्गफुट<br>3. 149 वर्गफुट | 2 वर्ष | 4,50,000/- | 15,00,000/- वार्षिक |
| 3. | निगम कार पार्किंग खलीनी शिमला। | 15 वाहन | 2 वर्ष | 98,550/- | 3,28,500/- वार्षिक |
| 4. | निगम कार पार्किंग जोधा निवास धरातल व पहली मंजिल। | 40 वाहन | 2 वर्ष | 1,15,200/- | 3,84,000/- वार्षिक |
| 5. | निगम कार पार्किंग एस0डी0ए0 काम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला। | 21 छोटे वाहन | 2 वर्ष | 1,38,000/- | 4,60,000/- वार्षिक |
| 6. | रैन बसेरा कार पार्किंग लक्कड़ बाजार। | 8 वाहन | 2 वर्ष | 57,600/- | 1,92,000/- वार्षिक |
| 7. | निगम कार पार्किंग टिट्ला होटल जाखू दो मंन्जिल | 27 वाहन | 2 वर्ष | 31,500/- | 1,05,000/- वार्षिक |
| 8. | वर्किंग वुमैन होस्टल संजौली की कार पार्किंग। | 30 वाहन | 2 वर्ष | 61,500/- | 2,05,000/- वार्षिक |
| 9. | कार पार्किंग सिसिल चौड़ा मैदान। | 25 वाहन | 2 वर्ष | 76,770/- | 2,55,900/- वार्षिक |
| 10. | कार पार्किंग अग्रवाल धर्मशाला उपरी तल | 8 वाहन | 2 वर्ष | 17,280/- | 57,600/- वार्षिक |
| 11. | कार पार्किंग अग्रवाल धर्मशाला निचला तल | 8 वाहन | 2 वर्ष | 17,280/- | 57,600/- वार्षिक |
| 12. | कार पार्किंग सामूदायिक केन्द्र कैथू | 15 वाहन | 2 वर्ष | 32,400/- | 1,08,000/- वार्षिक |
| 13. | कार पर्किंग सैक्टर 2 न्यू शिमला | 20 वाहन | 2 वर्ष | 43,200/- | 1,44,000/- वार्षिक |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | कार पार्किंग एस.डी.ए. काम्पलैक्स नजदीक पंचायती राज भवन कसुम्पटी | 12 वाहन | 2 वर्ष | 25,920/- | 86,400/- वार्षिक |
| 15. | कार पार्किंग नजदीक काली माता मंन्दिर विकास नगर | 15 वाहन | 2 वर्ष | 32,400/- | 1,08,000/- वार्षिक |
| 16. | बलुगंज, शिमला में निगम की दुकान नजदीक शराब की दुकान के साथ। | 162 वर्ग फुट | 10 वर्ष | 50000/- | 4000/- मासिक |
| 17. | मैट्रोपोल कार पार्किंग की चौथी मंन्जिल की कन्टीन | 168 वर्ग फुट | 2 वर्ष | 30000/- | 60000/- वार्षिक |
| 18. | निगम पार्किंग खलीनी की कन्टीन | 82 वर्गफुट | 2 वर्ष | 22,500/- | 75,000/- वार्षिक |
| 19. | प्लास्टिक टुटी हुई करेटें | 100 न0 | ........ | 2000/- | 30/- रू0 प्रति करेट |

## शर्तें व निबन्धनः–

1. सशर्त व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदायें रद्द कर दी जाएंगी। उन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जाएंगा।
2. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएंगी जो आयुक्त/संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में शिमला में देय होगी।
3. सफल निविदाकार को पार्किंगों की ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि देय माल एवं सेवाकर सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर व पार्किंगों की ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किंगों की शेष राशि 10 उत्तर दिनांकित चैक माल एवं सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रूप में देने होगें।
4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।
6. विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला शहर होगा।
7. निविदायें खोलने वाले दिन यदि अवकाश धोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त की व खोली जाएंगी।
8. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टेन्डर फार्म में साफ शब्दों व अंकों में लिखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा लिफाफे पर निविदा का नाम लिखना होगा। अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी। टैन्डर फार्म निगम की वैबसाईट में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
9. सामान्य प्रकिया के अर्न्तगत आंमन्त्रित निविदायें संयुक्त आयुक्त,नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डालनी होंगी, तथा विसमय सीमा के तुरन्त पश्चात निविदा बॉक्स बन्द कर दिया जाएगा ताकि कोई निविदा समय अवधि के पश्चात न डाली जा सकें। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । निविदा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई ही स्वीकार होंगी।
10. कम संख्या 1 से 19 निविदायें सामान्य प्रकिया के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। सम्बन्धित दस्तावेज जैसे बैंक ड्राफ्ट तथा पैन कार्ड व माल एवं सेवाकर नम्बर व निविदाकार का स्थाई पता व निजी सम्पति के पूर्ण दस्तावेज की प्रतियां मूल रूप से टैण्डर फार्म के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करने होगें।
11. सामान्य प्रकिया के अर्न्तगत यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि से एक दिन पूर्व सॉय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होंगी।
12. केन्द्र सरकार,राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/माल एवं सेवाकर निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नही होगा।
13. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति/दुकान/स्टाल/ पार्किंग आदि का देनदार पाया गया तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी और बाद में पता लगने पर भी निविदा स्वतः रद्द समझी जाएगी।
14. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर–2 निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।

15. जिन ठेकेदारों के पास वर्तमान में पार्किंग का ठेका है, यदि वह निविदा देना चाहते हैं तो उन्हें नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

16. निविदाओं के नियमों व शर्तों पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियाँ दायर कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

17. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त सभी निविदाओं की अलग–अलग शर्ते भी है। जो अधीक्षक सम्पदा से किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

18. आयुक्त नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. सरकार एवं निगम द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देश मान्य होंगें।

20. आयुक्त,नगर निगम या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आंबटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

21. अनुबन्धनामा की शर्तो की उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

22. निगम पार्किंग विलो मैट्रोपोल में निगम द्वारा आंबटित कन्टीन तथा इस परिसर की नीचली मंजिलों में स्थित कार्यालयों के लिए कम से कम 2 फुट का रास्ता छोडना होगा ।

23. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुक्सान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुक्सान पाये जाने की राशि काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।

24. निगम पार्किंग व एल0इ0डी0स्क्रीन निगम की दुकाने वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताऐं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

25. किसी भी पार्किंग में प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।

26. निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि ठेकेदार द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्व होने पर रू0 20,000/–जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार–बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्व कर दिया जाएगा व जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी । यह जुर्माना इकरारनामें की अन्य शर्तो की उल्लंधना करने पर भी वसूल किया जाएगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा व उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

27. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली,पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।

28. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4x4 का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय दूरभाष–नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।

29. सफल निविदाकार को स्थानीय लोगों की सूविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को र्स्व प्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी तथा पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 30 प्रतिशत वाहन को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा इसके इलावा सफल निविदाकार को आवासीय पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 80 प्रतिशत और सड़क कार पार्किंग में 30 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा। स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए उन्हें स्थानीय पार्षद का प्रमाण–पत्र/स्वीकृति सहित अपना राशन कार्ड /आधार कार्ड/ बिजली/पानी का बिल,प्रमाण पत्र दस्तावेजों के तौर पर निगम कार्यालय में जमा करवाने होगें।

30. सफल निविदाकार को नगर निगम की अनुमति पर पात्र स्थानीय व्यक्ति को मासिक पास देना अनिर्वाय होगा, जिसका रजिस्ट्रर नगर निगम और ठेकेदार दोनों Maintain करेगा। नगर निगम का कर्मचारी कभी भी इसका निरीक्षण कर सकता है, और सफल निविदाकार को इसे हर वक्त साईट पर उपलब्ध रखना होगा। मासिक पास 6 महिने से अधिक अवधि का नहीं दिया जाएगा तथा 6 माह के बाद व्यक्ति को फिर से नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

31. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटको एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग मोबाईल ऐप आरम्भ कर दी गई है ।उच्चतम निविदाकार को मोबाईलऐप अपनी–अपनी पार्किंग में लागु करनी होगी तथा पार्किंग की काटी गई रसीदे मान्य नहीं होगी। शर्तो की उल्लंघना करने पर निविदाकार से राशि रू0 50,000/–का जुर्माना वसूल किया जाएगा। केवल ऐप न चलने की दशा में ही निगम द्वारा जारी की गई रसीदें काटी जा

सकती है जो नगर निगम की सम्पदा शाखा से निर्धारित कीमत राशि रू0 50/–के भुगतान करने पर निगम की सम्पदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

32. नगर निगम शिमला की साधारण बैठक दिनांक 28.09.2017 को लिए गये निर्णय अनुसार सम्बन्धित वार्ड **पार्षद को** एक गाडी की पार्किंग हेतु आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा पास जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर उच्च निविदाकार को पार्किंग में सम्बन्धित गाडी को निःशुल्क स्थान प्रदान करना होगा एक पार्किंग में एक से अधिक स्थान का आरक्षण नहीं किया जाएगा ।

33. नगर निगम शिमला की पार्किंगों को 2 वर्षो के लिए आंबटित किया जाएगा ठेका अवधि समाप्ति के उपरान्त आगामी नीलामी तक पार्किंग का संचालन पूर्व ठेकादार द्वारा ही किया जाएगा। संचालन पूर्व ठेका राशि के आधार पर करने का अधिकार होगा।

34. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग में सी0सी0 टी0वी0 केमरा व सैंन्सर सहित पार्किंग गेट पर स्थापित करना होगा। जिसका खर्चा निविदाकार को स्वंय करना होगा।

35. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग स्थल पर तैनात कर्मचारी को पहचान पत्र व वर्दी जेकेट उपलब्ध करवाना होगा। जेकेट पर पार्किंग एटेंडन्ट लिखा होना अनिवार्य है। ताकि पार्किंग कर्मचारी की पहचान की जा सकी।

36. उपरोक्त विषय में अतिरिक्त जानकारी/पूछताछ के लिए अधीक्षक सम्पदा से निजी तौर पर या दुरभाष न0–0177–2802779 पर संपर्क करें। निगम की वेवसाईट www.shimlamc.org है,

आयुक्त,
नगर निगम शिमला

# नगर निगम शिमला

## नगर निगम शिमला द्वारा, कार पार्किंगों, आदि के आंबटन हेतू।

## निविदा फार्म

सेवा में,

आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।

**विषयः–** **निविदा बारे।**

महोदय,

**मैं अपनी निविदा निम्न ब्यौरे अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ।**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निविदाकार का नाम व पता तथा सम्पर्क न0 | |
| 2. | सम्पति का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है। | |
| 3. | धरोहर राशि के ड्राफ्ट का न0, तिथि व राशि | |
| 4. | निविदाकार द्वारा भरी गई निविदा की राशि, मासिक /वार्षिक अंको व शब्दों में | |
| 5. | निविदाकार के हस्ताक्षर तिथि सहित। | |
| 6. | G.S.T No | |